1086
24-7-2020

मानवीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों में निहित बिन्दुओं के अनुश्रवण एवं अनुपालन की समीक्षा किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों में निहित बिन्दुओं के अनुश्रवण एवं अनुपालन की समीक्षा किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को अपरान्ह 04:30 बजे एक बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारी गण की सूची संलग्न है। बैठक में प्रकरणवार हुए विचार–विमर्श एवं लिये गये निर्णय का विवरण निम्नवत् है–

1– **ओ0ए0 सं0– 06/2012 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया :–**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण यमुना नदी प्रदूषण से सम्बन्धित है तथा इस प्रकरण में अधिकरण द्वारा ड्रेन्स में उत्प्रवाह शोधन हेतु बायो रेमिडियेशन/फाइटो रेमिडिएशन का कार्य दिनांक 01.01.2020 से प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा उल्लंघन की दशा में रू0 5 लाख प्रति माह/ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के आदेश भी जारी किये गये है। उक्त के अतिरिक्त संचालित एस0टी0पी0 में कमियों का निराकरण 03 माह में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके उल्लंघन की दशा में रू0 5 लाख प्रति माह/एस0टी0पी0 की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा किये जाने के निर्देश जारी है। इसी प्रकार ऐसे एस0टी0पी0, जिनके निर्माण का कार्य दिनांक 01.07.2020 तक पूर्ण नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में भी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु मासिक दरें निर्धारित की गई है। उक्त के अतिरिक्त बन्थला कैनाल एवं इन्दिरापुरी ड्रेन के क्षेत्र में फिकल स्लज ट्रीटमेंट व्यवस्था भी पूर्ण की जानी है।

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि सीवेज उपचार संयंत्र की परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब के कारण निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हुआ है।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा सूचित किया गया कि इस प्रकरण में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट सुश्री शैलजा चन्द्रा की अध्यक्षता में मा0 अधिकरण द्वारा गठित अनुश्रवण समिति को प्रेषित की गई है तथा आगामी सुनवाई की तिथि दिनांक 27.01.2021 को मा0 अधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा।

प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन द्वारा अवगत कराया गया कि बायो डायवर्सिटी पार्क के विकास हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार दी जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में पत्रावली निर्णयार्थ विचाराधीन है तथा फ्लड प्लेन के डिमार्केशन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

mail forwarded to concerned
All circle Head
EO, C.Lab/LO-I
24/07/20
(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

बैठक में निर्णय लिया गया कि ड्रेन्स के फाइटोरेमिडियेशन के सम्बन्ध में फिजिबिलिटी का अध्ययन करते हुए कार्यों को पूर्ण किये जाने की समयबद्ध योजना तत्काल तैयार कर प्रस्तुत करें तथा प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2019 एवं दिनांक 06.05.2020 में पारित निर्देशों के अनुसार साहिबाबाद, इन्दिरापुरी एवं बन्थला ड्रेन्स के टैपिंग व अन्य परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण कराने की कार्यवाही की जाए। बन्थला एवं इन्दिरापुरी कैनाल की टैपिंग हेतु प्रस्तावित 60 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 की स्वीकृति हेतु नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा के स्तर पर तत्परता से प्रयास किया जाए। उक्त के अतिरिक्त कोविड–2019 के दृष्टिगत कार्य बधित होने एवं राज्य की वित्तीय आय प्रभावित होने सम्बन्धी बिन्दु सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण के आदेश में निर्धारित समय–सीमा में कार्य पूर्ण न होने के कारण अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर पुनर्विचार हेतु कार्यों की प्रगति एवं समयबद्ध योजना के साथ मा0 अधिकरण से अनुरोध किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को दी जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में शीघ्रता से आवश्यक कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त प्रकरण हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई की आगामी तिथि 27.01.2021 नियत है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में वांछित अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए 01 माह में अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

2– <u>ओ0ए0 सं0– 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया :–</u>

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण गंगा नदी प्रदूषण से सम्बन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2019 में निर्देशित किया गया कि गंगा नदी के कैचमेन्ट क्षेत्र में सीवेज उपचार संयंत्रों की संचालित परियोजनायें दिनांक 30.06.2020 तक पूर्ण की जायें तथा अन्य समस्त परियोजनायें दिनांक 31.12.2020 तक पूर्ण कर ली जायें। मा0 अधिकरण द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि उक्त कार्य पूर्ण होने तक सीवेज शोधन हेतु अन्तरिम व्यवस्था की जाए। मा0 अधिकरण के आदेश में अन्तरिम उपचार की समयबद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नगर विकास विभाग पर रू0 18 करोड़ मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पत्र दिनांक 03.02.2020 द्वारा अधिरोपित करते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को उक्त धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 16.06.2020 द्वारा अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है।

सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि अन्तरिम उपचार की परियोजना वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित स्थानीय

निकायों को बायो रेमिडियेशन कार्य किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा नदी में बिजनौर से कानपुर तक लम्बाई में फ्लड प्लेन जोन के डिमार्केशन का कार्य प्रगति पर है तथा ई–फ्लों की अधिसूचना का अनुपालन किया जा रहा है। फ्लड प्लेन जोन का नोटिफिकेशन माह जुलाई, 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल वित्त विभाग से समन्वय कर परियोजनाओं की स्वीकृति से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा उक्त के अतिरिक्त कोविड–2019 के दृष्टिगत कार्य बधित होने एवं राज्य की वित्तीय आय प्रभावित होने सम्बन्धी बिन्दु सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण के आदेश में निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर पुनर्विचार हेतु कार्यों की प्रगति एवं समयबद्ध योजना के साथ मा0 अधिकरण से अनुरोध किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा फ्लड प्लेन जोन का नोटिफिकेशन निर्गत कर उसकी सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित की जाए। अग्रिम सुनवाई की तिथि दिनांक 13.08.2020 को मा0 अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जा सकें।

उपरोक्त प्रकरण हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई की आगामी तिथि 27.01.2021 नियत है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में वांछित अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए 01 सप्ताह में अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

3– <u>ओ0ए0 सं0–231/2014 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 :–</u>

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण हिण्डन नदी कैचमेन्ट क्षेत्र में भूजल प्रदूषण से सम्बन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा हर्रा नगर पंचायत मेरठ में 102 गांवों में पाईप्ड जल आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है तथा ग्राम विराल में टेण्डरिंग की स्टेज में है । मा0 अधिकरण द्वारा उक्त कार्य माह अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा बताया गया कि सहारनपुर, बुढ़ाना एवं मुजफ्फरनगर में 03 एस0टी0पी0 स्थापित किये जाने हैं तथा इन क्षेत्रों में ड्रेन के रेमिडियेशन का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ कैम्प में पाये गये 169 कैंसर मरीजों के उपचार का बिन्दु भी सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त अनटैप्ड ड्रेन्स में अन्तरिम उपचार का कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

सचिव, नगर विकास द्वारा सूचित किया गया कि हर्रा नगर पंचायत में पाईप्ड जल आपूर्ति की रू 8 करोड़ लागत की परियोजना वित्त विभाग में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा सूचित किया गया कि 112 कैंसर मरीजों का उपचार विशिष्ट चिकित्सालयों में कराया जा रहा है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण के आदेशों से आच्छादित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध कर उनकी स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु वित्त विभाग के साथ एक बैठक आहूत कर कार्यवाही की जाए तथा एस0टी0पी0, ड्रेन्स के रेमिडियेशन की समस्त परियोजनाओं में टाइमलाइन प्रदर्शित करते हुए एवं कोविड–2019 के दृष्टिगत कार्य बाधित होने एवं राज्य की वित्तीय आय प्रभावित होने सम्बन्धी बिन्दु सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण के आदेश में निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दरों पर पुनर्विचार हेतु कार्यों की प्रगति एवं समयबद्ध योजना के साथ मा0 अधिकरण से अनुरोध किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त के अतिरिक्त नगर विकास विभाग एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 28.02.2020 के अनुपालन में की गई कार्यवाही की आख्या 01 सप्ताह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये, ताकि आगामी नियत तिथि 06.08.2020 से पूर्व ससमय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

4– <u>ओ0ए0 सं0– 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर तथा ओ0ए0 सं0– 437/2015 :–</u>

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त आदेश के अन्तर्गत रामगढ़ ताल के आस–पास के क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाये जाने, उक्त ताल में निस्तारित होने वाले घरेलू जल–मल को तत्काल बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा शुद्धीकरण किये जाने, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत, मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना, नगर निगम गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबन्ध, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करने, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति तथा केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण से भू–जल दोहन हेतु अनापत्ति प्राप्त करने वाले उद्योगों को ही विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रकरण दिनांक 05.11.2020 को नियत है तथा अनुपालन आख्या दिनांक 30.09.2020 तक दाखिल की जानी है।

बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये–

1– प्रदेश में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना स्थापनार्थ अनापत्ति प्राप्त किये रेड एवं ऑरेन्ज कैटेगरी के प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों को विद्युत संयोजन न दिया जाये। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त विद्युत विभाग द्वारा रेड एवं ऑरेन्ज कैटेगरी के उद्योगों को अस्थायी विद्युत संयोजन तत्पश्चात उद्योगों द्वारा संचालनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त उद्योगों को स्थायी विद्युत संयोजन प्रदान किया जाये। इस हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषणकारी उद्योगों की सूची ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराई जाए तथा उक्त सम्बन्ध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उक्त कार्यवाही विलम्बतम् 01 माह में पूर्ण कर ली जाए।

(कार्यवाही–ऊर्जा विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

2– भू–गर्भ जल की दृष्टि से Over Exploited, Critical एवं Semi Critical में प्रस्तावित उद्योगों के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मत स्थिर कर समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव 01 सप्ताह में लघु

सिंचाई एवं भुगर्भ जल विभाग को प्रेषित किया जाए। लघु सिंचाई एवं भुगर्भ जल विभाग प्रस्ताव पर मत स्थिर कर 01 माह में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही–लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3– नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद में एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा तैयार डी0पी0आर0 लागत रू0 33.20 करोड़ धनराशि तथा नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, संतकबीर नगर द्वारा एस0टी0पी0 लागत रू0 19.88 करोड़ धनराशि के डी0पी0आर0 को एन0एम0सी0जी0 से शीघ्र स्वीकृत कराकर एस0टी0पी0 के स्थापना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जाये। यदि एन0एम0सी0जी0 द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्ताव 01 माह में प्रस्तुत किये जाये।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

4– गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, (गीडा), गोरखपुर द्वारा रू0 76.79 करोड़ की लागत से सी0ई0टी0पी0 की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें रू0 20 करोड़ की धनराशि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, रू0 17 करोड़ गीडा तथा शेष रू0 39.79 करोड़ की धनराशि एन0एम0सी0जी0 से प्राप्त की जानी है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि एन0एम0सी0जी0 से फालोअप कर डी0पी0आर0 का शीघ्र अनुमोदन कराकर सी0ई0टी0पी0 की शीघ्र स्थापना करायी जाये।

(कार्यवाही–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, निदेशक, एस0एम0सी0जी0 एवं गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर)

5– नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के शुद्धीकरण, निस्तारण एवं लैण्डफिल साइट की समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर स्थापना की जाये तथा कार्ययोजना की प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं नगर निगम गोरखपुर)

6– सम्बन्धित विभागों द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं रिवाइज्ड टाइम लाइन की सूचना सहित माननीय अधिकरण में अनुपालन आख्या समय से दाखिल करना सुनिश्चित किया जाये। यदि आदेश के किसी बिन्दु के अनुपालन में कोई तकनीकी/वित्तीय कठिनाई है, तो यह दृष्टिगत रखते हुए कि उपरोक्त वाद की मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई हेतु आगामी तिथि 05.11.2020 नियत है, सम्बन्धित विभाग द्वारा माननीय अधिकरण में राज्य सरकार की ओर से उपयुक्त निर्देश जारी कराने हेतु 01 में में कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में वांछित अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए 01 माह में अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित विभाग)

5– **<u>ओ0ए0 सं0– 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया :–</u>**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदश दिनांक 21.05.2020 में निर्देशित है कि सीवेज के 100 प्रतिशत शोधन तथा शोधित उत्प्रवाह के प्रयोग हेतु बजट, वित्तीय प्रावधान प्रदर्शित करते हुए कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 30.06.2020 तक प्रेषित की जानी

थी, जिसके सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 05.06.2020 द्वारा नगर विकास विभाग को समयबद्ध कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण द्वारा बताया गया कि मा0 अधिकरण द्वारा उपरोक्त आदेश में दिनांक 01.07.2020 तक 100 प्रतिशत सीवेज शोधन हेतु इनसीटू रेमिडियेशन कार्य किये जाने, एस0टी0पी0 स्थापना प्रारम्भ किये जाने एवं समस्त ड्रेन्स को एस0टी0पी0 से जोड़े जाने के निदश दिये गये है तथा उल्लंघन की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की मासिक दर निर्धारित की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में 100 प्रतिशत सीवेज शोधन हेतु इनसीटू रेमिडियेशन कार्य किये जाने, एस0टी0पी0 स्थापना प्रारम्भ किये जाने एवं समस्त ड्रेन्स को एस0टी0पी0 से जोड़े जाने से सम्बन्धित समयबद्ध कार्ययोजना तथा कोविड–19 के दृष्टिगत राज्य सरकार की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण को अवगत कराते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत की जाए।

प्रकरण में सनुवाई की आगामी तिथि 21.09.2020 नियत है। अतः नगर विकास विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही पूर्ण कराते हुए अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में समयान्तर्गत दाखिल करायी जाय तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 15 दिन में अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग)

6– **<u>ओ0ए0 सं0– 909/2018 एवं 954/2018 कोफेडरेशन ऑफ ट्रांस हिण्डन आर0डब्ल्यू0ए0 गाजियाबाद बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य :–</u>**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण इन्दिरापुरम, गाजियाबाद में डम्प लिगेसी वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण से सम्बन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 में निर्देशित किया गया है कि इन्दिरापुरम, गाजियाबाद में डम्प लिगेसी वेस्ट के रेमिडियेशन का कार्य 01 माह में प्रारम्भ किया जाए, समस्त लिगेसी वेस्ट डम्प साइट्स को चिन्हित किया जाए तथा सीवेज प्रबन्धन तथा ड्रेन्स का रेमिडियेशन कार्य 01 माह में प्रारम्भ किया जाए। मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उल्लंघन की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के निर्देश दिये गये है।

सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा टेण्डर का कार्य प्रगति पर है, 10 ड्रेन्स चिन्हित की गई हैं, जिनमें से 05 ड्रेन्स की डी0पी0आर0 तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में लिगेसी वेस्ट के रेमिडियेशन, समस्त लिगेसी वेस्ट डम्प साइट्स के चिन्हीकरण तथा सीवेज प्रबन्धन तथा ड्रेन्स का रेमिडियेशन कार्य से सम्बन्धित समयबद्ध कार्ययोजना तथा कोविड–19 के दृष्टिगत राज्य सरकार की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण को अवगत कराते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही प्रदर्शित करते हुए अनुपालन आख्या नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त कार्यवाही आगामी नियत तिथि 22.07.2020 से पूर्व सुनिश्चित करायी जाय तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग)

7– ओ0ए0 सं0– 606/2018 कम्प्लायंस ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 :–

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित है तथा मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्देश दिनांक 10.01.2020 में आदेशित किया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण रूप से किया जाना सुनिश्चित करें तथा लिगेसी वेस्ट के रेमिडियेशन का कार्य दिनांक 01.04.2020 से प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें। मा0 अधिकरण द्वारा उक्त समयावधि के उल्लंघन की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की दरें निर्धारित की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा लिगेसी वेस्ट के रेमिडियेशन कार्य से सम्बन्धित समयबद्ध कार्ययोजना तथा कोविड–19 के दृष्टिगत राज्य सरकार की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण को अवगत कराते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग)

8– ओ0ए0 सं0–648/2019 मै0 हिण्डन रिजार्ट प्रा0लि0 बनाम जी0डी0ए0 :–

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण इन्दिरापुरम, गाजियाबाद में एस0टी0पी0 द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने से सम्बन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद तथा उ0प्र0 जल निगम पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की कार्यवाही की गई है। मा0 अधिकरण द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि एस0टी0पी0 द्वारा मानकों की प्राप्ति किये जाने हेतु उ0प्र0 जल निगम एवं नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए, शुद्धिकृत उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु पृथक चैनल के निर्माण तथा उक्त कार्यों हेतु परफार्मेन्स गारंटी जमा किये जाने के निर्देश दिये गये है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि एस0टी0पी0 का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप किये जाने हेतु उ0प्र0 जल निगम एवं नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं मा0 अधिकरण के आदेशों का अनुपालन किया जाए। नगर विकास विभाग द्वारा एन0एम0सी0जी0, भारत सरकार से समन्वय कर परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 29.09.2020 नियत है। नगर विकास विभाग द्वारा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में सीवेज शोधन एवं अधिकरण के आदेश में वर्णित समस्त कार्यों से सम्बन्धित समयबद्ध कार्ययोजना तथा कोविड–19 के दृष्टिगत राज्य सरकार की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को सम्मिलित करते हुए 15 दिन में मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यवाही

सुनिश्चित की जाए तथा उक्त की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग)

9– ओ0ए0 सं0–490/2019 टी0एस0 सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 :

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण प्रतापगढ़ में सई नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्मित एस0टी0पी0 हेतु सीवर लाईन बिछाये जाने एवं एस0टी0पी0 से संयोजित किये जाने से सम्बन्धित है। एस0टी0पी0 निर्माण का कार्य 2009 में अधूरा छोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में कार्यदायी संस्था के उत्तरदायी परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गई है। सई नदी में सीधे गिर रहे सीवेज का बायो रेमिडियेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि दोषी परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। उक्त प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि 01.09.2020 नियत है। नगर विकास विभाग द्वारा सीवर लाइन बिछाये जाने एवं एस0टी0पी0 संयोजन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तत्काल बनाकर मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या 15 दिन में प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाए तथा उक्त की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग)

10– ओ0ए0 सं0– 985/2019 एवं 986/2019 :

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण जाजमऊ, कानपुर, रनिया, कानपुर देहात एवं राखी मण्डी, कानपुर में जल प्रदूषण से सम्बन्धित है। इस प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2019 में खानचन्दपुर, रनिया, कानपुर देहात में क्रोमियम कण्टामिनेटेड स्थल के रेमिडियेशन तथा प्रभावित गाँवों में स्वच्छ जल आपूर्ति किये जाने के निर्देश पारित किये गये।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा सूचित किया गया कि इस प्रकरण में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 04.02.2020 एवं दिनांक 11.06.2020 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में प्रस्तुत की गई।

जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षेत्र की दोषी इकाईयों के विरूद्ध रिकवरी सम्बन्धी कार्यवाही के प्रस्ताव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त हो गये हैं, जिन पर वसूली की कार्यवाही उप जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि वसूली की कार्यवाही का अनुश्रवण प्रत्येक 15 दिन पर करते हुए अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाए।

क्रोमियम डम्प के निस्तारण के सम्बन्ध में यू0पी0सी0डा0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि क्रोमियम अपशिष्ट के निस्तारण हेतु विभाग द्वारा किये गये टेण्डर पर मात्र 1 प्रस्ताव उचित पाये जाने के दृष्टिगत पुनः टेण्डर की प्रक्रिया की जानी है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि यू0पी0सी0डा0 द्वारा वित्तीय नियमों के अनुरूप शीघ्र कार्यवाही कराते हुए क्रोमियम डम्प के निस्तारण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालन आख्या 01 माह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही–यू0पी0सी0डा0/ जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

11— मा0 अधिकरण में विचाराधीन उपरोक्त प्रकरणों में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बायो रेमिडियेशन, ड्रेन की टैपिंग, पाइप्ड पेय जल योजना, लिगेसी वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, शोधित उत्प्रवाह के पूर्ण उपभोग आदि की महत्वपूर्ण परियोजनायें, जो कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों से आच्छादित है तथा जिसमें आदेशों का अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराया जाना है, के सम्बन्ध में एक प्राथमिकता सूची तैयार कर उनके वित्त पोषण हेतु वित्त विभाग के साथ 15 दिन में एक बैठक आयोजित करायें, ताकि प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को स्वीकृत किये जाने के संबंध में वित्त विभाग के साथ विचार–विमर्श किया जा सके तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों की अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग एवं वित्त विभाग)

12— बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण में विचाराधीन उपरोक्त समस्त प्रकरणों के अन्तर्गत आच्छादित ऐसी परियोजनायें, जिनमें प्रस्तावित समय–सीमा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्देशित समय–सीमा से अधिक है, के सम्बन्ध में कार्यों को डी0पी0आर0 में निर्धारित समयसीमा के पूर्व पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत कार्यों के इण्टरमीडिएट माइलस्टोन निर्धारित करते हुए अतिरिक्त संसाधानों के साथ गहन अनुश्रवण कर इस प्रकार सम्पादित कराया जाए जिससे उक्त कार्य डी0पी0आर0 में निर्धारित समय–सीमा के पूर्व पूर्ण हो जाए। इस सम्बन्ध में सम्भावित संशोधित टाइमलाइन के आधार पर मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से मुक्त कराये जाने हेतु अनुरोध आवेदन 15 दिन दाखिल कर आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित विभाग)

बैठक में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विभिन्न विचाराधीन एप्लीकेशनस में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने के उत्पन्न डिफाल्ट की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त की सूचना मा0 अधिकरण में प्रस्तुत कर दी जायेगी। अतः समस्त विभागों द्वारा मा0 अधिकरण के आदेशों में निहित निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही कराते हुए उक्त की अनुपालन आख्या ससमय मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

संजय सिंह
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या– 684 /81–7–2020–01(पर्या)/2015
लखनऊ : दिनांक : 23 जुलाई, 2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/पंचायती राज/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण/ग्राम्य विकास/ऊर्जा/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/आवास एवं शहरी नियोजन/भूतत्व एवं खनिकर्म/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– जिलाधिकारी, कानपुर देहात/गाजियाबाद।
3– नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर/गाजियाबाद।
4– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर/यूपीसीडा, कानपुर।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6– निदेशक, एस0एम0सी0जी0/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, उ0प्र0।
7– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।